

19-06-18

पञ्जावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्याय
आपके द्वारे-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक
अदालत के केंद्र- अटल सेवा केंद्र 21.7.2018
पर आज पेश हुई। प्रार्थीगण / वादीगण ने उपस्थित होकर
प्रकरण में पक्षकारानु के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने
से प्रकरण को आगे नहीं चला कर लोक अदालत की
भावना से विज्ञा कर खारीज किये जाने का निवेदन किया
है। प्रार्थीगण / वादीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र विज्ञा
स्वीकार किया जाकर वाद पत्र / प्रार्थना पत्र को लोक
अदालत की भावना से विज्ञा कर खारीज किया जाता है।
पञ्जावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

(अध्यक्ष)

श्री ब्रह्म लाल जाट
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)